न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहुजा, आर.ए.एस.

विविध आवेदनपत्र संख्या 67/2018
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. महावीर पुत्र भूराराम जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री मोहनलाल सहारण अधिवक्ता, (प्रार्थी)
श्रीराधेश्यान गोयल अधिवक्ता (प्रार्थी)
श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता (अप्रार्थी–1)
पैरोकारा राज (अप्रार्थी–2)

।। आदेश ।।

दिनांक 30 अप्रेल, 2018

आवेदनपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की खतौनी संख्या 93/7 के मु.नं.14 के किला नं. 4 में 0.2530 हैक्टर नहरी मय खाला, 5 में 0.2280 हैक्टर नहरी मय खाला, 6 में 0.2280 हैक्टर नहरी, 7/1 में 0.2020 हैक्टर नहरी, 15/2 में 0.0640 हैक्टर कुल 0.9750 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज था जिसका मुताबिक डिक्री इंतकाल दर्ज हो चुका है जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम मु.नं. 14 के किला नं. 4 सालम, 5 में 0.228 हैक्टर, 6/1 में 0.032 हैक्टर, 7/1 में 0.041 कुल 0.554 हैक्टर नहरी मय खाला व प्रार्थी के नाम मु.नं. 14 के किला नं. 6/2 में 0.196, 7/2 में 0.161, 15/2 में 0.064 हैक्टर कुल 0.421 हैक्टर नहरी रकबा दर्ज है। उक्त रकबा न्यायालय हाजा की डिक्री अनुसार दर्ज हुआ था जो बाद में डिक्री निरस्त हो गई लेकिन आज तक उक्त इंतकाल निरस्त नहीं किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का नाम दज होन से पूर्व उपरोक्त पूर्व में मु.नं. 14 का रकबा जो श्री भूराराम पुत्र श्री हरचन्द के नाम से था उनके नाम सांझा खाता में 145 हिस्सा रकबा यानि 7.05 बीधा रकबा था जिसमें तीनों बेटों, माता–पिता के हिस्सा में प्रत्येक के हिस्सा में 29 हिस्सा अर्थात 1.9 बीघा रकबा आया। जिसमें भूराराम व किशनलाल के द्वारा अपना पूरा हिस्सा 58 हिस्सा अर्थारत 2.18 बीघा रकबा नरसिंह, रामकुमार आदि को विक्रय कर दिया, शेष प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या1 व माता का हिस्सा रहा। माता हरीया देवी का स्वर्गतवास होने के बाद विरास्तन इंतकाल तीनों बहिनों व तीनों भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

दर्ज हुआ। जिमसें प्रत्येक के हिस्सा में 29 हिस्सा में से 4 बिस्वा साढे सोलह विस्वान्सी हकदार हुए। प्रार्थी व अप्रार्थी की दो बहिनों बिदामी व शांति ने अपनी माता से प्राप्त भूमि जरिउए रजिस्टर्ड बैयनामा के द्वारा दिनांक 10.10.2011 को प्रार्थी को बेचान कर दी। माता से प्राप्त हिस्सा में से तीसरी बहिन गीता व भाई कृष्णलाल ने अप्रार्थी–1 के नाम दस्तबरदारी करवा दी। नियमानुसार हक व हिस्सा अनुसार प्राथी के हिस में कुल 2 बीघा, 8½ बिस्वा रकबा आता है जिसमें से प्रार्थी ने 10 बिस्वा रकबा रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा विकय कर दिया था। बाकी का रकबा 1 बीघा 18½ बिस्वा रकबा रहा तथा इतना ही रकबा पर प्रार्थी का कब्जा है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम 0.421 हैक्टर रकबा बोल रहा है। यह रकबा अप्रार्थी–1 के नाम बोल रहा है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी–1 के नाम के रकबा में से 0.066 हैक्टर रकबा अर्थात 5 बिस्वा रकबा प्राप्त करने का अधिकारी है। दौराने दावा अप्रार्थी ने प्रार्थी के हक व हिस्सा के करबा को रहन बैय या अन्य किसी दीगर तरीके से मुंतकिल कर दिया या जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जायेगा व आईदा मुकदमा बाजी बढेगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को चक 2 डी छोटी खाता नं. 93/7 के मु.नं. 14 रकबा 0.975 हैक्टर दर्ज रकबा को बिना विभाजन करवाये रहन बैय नहीं करे और तथा ना ही जरायम पेशा लोगों की मदद से मुझ प्रार्थी के रकबा में कब्जा करने की कोशिश करे।

अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.04.2018 को जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्यानुसार पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक वाद संख्या 21/2012 अनवानी हनुमान बनाम महावीर आदि, नयायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत किया गया था जिसका दिनांक 28.12.2012 को अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है। उक्त आदेश व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी महावीर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर तक चुनौती दी जा चुकी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आज दिनांक तक यथावत है। इस प्रकार उक्त अनवानी वाद धारा 11, सीपीसी के तहत पूर्व न्याय के सिद्धान्त से स्पष्ट रूप से बाधित है। प्रार्थी के नाम मुरबा नम्बर 14 के किला नम्बर 6/2 में 0.196 हैक्टर, 7/2 में 0.161 हक्टर, 15/2 में 0.064 हैक्टर, कुल 0.421 हैक्टर कृषि भूमि एवं उत्तरदाता अप्रार्थी के नाम मुरबा नम्बर 14 के किला नम्बर 4 सालम, 5 में 0.228 हैक्टर, 6/1 में 0.032 हैक्टर, 7/1 में 0.041 हैक्टर, कुल 0.554 हैक्टर नहरी मय खाला का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में जरिये आदेश व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांकित 28.12.2012 दर्ज हो चुका है, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा कभी निरस्त नहीं किया गया है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि वर्तमान जमाबंदी में न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांकित 17.11.2017 के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि भिन्न भिन्न हिस्सों में किला विशेष अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी उत्तरदातरा के नाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के आदेश व डिक्री दिनांकित 17.11.2017 के विरूद्ध माननयी राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के यहा प्रार्थी महावीर द्वारा अपील संख्या 135/2017 प्रस्तुत की गयी जो कि दिनांक 19.02.2018 को खारिज कर दी गयी जिसके विरूद्ध प्रार्थी महावीर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी थी जो कि दिनांक 09.03.2018 को खारिज कर दी गयी। इस प्रकार श्रीमान् न्यायालय का आदेश दिनांकित 17.11.2017 यथावत रखा गया। अप्रार्थी की बहिन गीता एवं भाई किशन लाल द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपना हक परित्याग किया गया था जिसमें प्रार्थी अब कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता है। विधिनुसार जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक प्रार्थी जरिए घोषणा श्रीमान न्यायालय से कोई अनुतोश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी महावीर द्वारा जरिए बैयनामा 10 बिस्वा कृषि भूमि नहर सिंह पुत्र शंकरलाल बिश्नोई को दिनांक 07.06.1999 को विक्रय कर दी गयी है। जिसके पश्चत् प्रार्थी के पास अपनी दोनों बहनों से प्राप्त कृषि भूमि तथा माता की मृत्यु उपरान्त प्राप्त 1/6 हिस्सा एवं शेष बची 19 बिस्वा कृषि भूमि को मिलान करने के पश्चात् 0.421 हैक्टर कृषि भूमि बनती है जो प्रार्थी के नमा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रार्थी इतनी ही कृषि भूमि का अधिकारी है। यह कथन मिथ्या है कि प्रार्थी के पास 1.18½ बीघा कृषि भूमि पर कब्जा हो तथा 5 बिस्वा रकबा वाद पत्र के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी हो। इस चरण में प्रार्थी के द्वारा स्वयं प्रार्थी एवं उत्तरदाता अप्रार्थी के मध्य पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र का उल्लेख किया गया है। सही तथ्य यह है कि इन्हीं दोनों पक्षकारों के मध्य इसी वाद विषयवस्तु पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का सन 2012 में प्रस्तुत होकर अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुका है। अप्रार्थी के पास अपेन हक व हिस्से की कृषि भूमि का इन्तकाल श्रीमान् न्यायालय के आदेश व डिक्री के द्वारा दर्ज हो चुका है तथा जब तक प्रार्थी द्वारा उक्त इन्तकाल को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक प्रार्थी, उत्तरदाता के हक व हिस्सा की कृषि भूमि में किसी प्रकार की मदाखत करने एवं स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विधिनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। अगर पूर्व में प्रार्थी के द्वारा एकतरफ स्थगन आदेश को किसी भी रूप में अनितम रूप से विनिश्चित किया जाता है तो उत्तरदाता को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी एवं अनावश्यक रूप से दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होगा।अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र उत्तरदाता अप्रार्थी–1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में इंतकाल संख्या 60 की फोटो प्रति, जमाबंदी की फोटो प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2064–67 की फोटो प्रति, इंतकाल संख्या 486 की फौटो प्रति, जमाबंदी 2068–71 की फोटो प्रति, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

निर्णय दिनांक 21.12.2012 की फोटो प्रति, मान. राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 04.07.2017 के निर्णय की फोटो प्रति, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर की आदेशिका दिनांक 13.02.2012 से 17.11.2017 तक की फोटो प्रतियां पेश की।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दोराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में

(i) AIR 2003 ANDHRA PREADESH 498,
(ii) RRT 2014(1) KAMLA DEVI VS. CHAMPALAL 509 (BORD OF REVENUR FOR RAJASTHAN, AJMER) के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया गया।

—आदेश —

प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी समान प्रकृति का वाद लाया जा चुका है। जिसमे इस न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा समान प्रकृति, समान भूमि का वाद पुनः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिससे न्यायालय का आवश्यक समय व्यर्थ होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 54/2018 के संलग्न हो।

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय आज दिनाक 30 अप्रेल, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल अंडूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर